SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदानः छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के बतौली एवं मैनपाट विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में

मुकेश उपाध्याय, शोधार्थी, **अमित वर्मा,** पी–एचडी., शोध–पर्यवेक्षक, वाणिज्य विभाग
आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, वि. ख. छुरा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
मुकेश उपाध्याय, शोधार्थी
अमित वर्मा, पी–एचडी., शोध–पर्यवेक्षक
E-mail : mukeshupadhyay20june63@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 29/08/2025
Revised on : 29/10/2025
Accepted on : 07/11/2025
Overall Similarity : 00% on 30/10/2025

शोध सार

भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता, बेरोजगारी एवं आय विषमता महत्वपूर्ण समस्या रही है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की संपूर्ण शक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था को आत्म–निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नीति को उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया गया। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर, आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 दिनांक–07 सितम्बर, 2005 को जारी की गयी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई। यह अधिनियम पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और वित्त वर्ष 2007–08 में इसे 130 और जिलों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2008 से पूरे देश में अधिसूचित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013–14 से 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगारप्रप्रदाय किया जा रहा है, अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला हैं। सरगुजा जिले के दो विकासखण्डों लखनपुर एवं मैनपाट को शोध अध्ययन का आधार बनाकर प्रत्येक

विकासखण्ड के के 5–5 ग्राम पंचायतों के न्यादर्श विधि से 20–20, कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

मुख्य शब्द

निर्धनता, आर्थिक विकास मनरेगा, जॉब कार्ड, बेरोजगारी, मजदूरी, पलायन.

भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्धनता, बेरोजगारी एवं आय विषमता महत्वपूर्ण समस्या रही है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश की संपूर्ण शक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था को आत्म–निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नीति को उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया गया।

बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था की सेहत का एक प्रमुख पैमाना माना जाता है। बेरोजगारी का सबसे आम पैमाना बेरोजगारी दर है। इसकी गणना बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम बल में लोगों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन[2]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर, आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 दिनांक–07 सितम्बर, 2005 को जारी की गयी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई।

- **प्रथम चरण में 02 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलेः** बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा.
- **द्वितीय चरण में 01 अप्रैल 2007 से 04 जिलेः** रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद.
- तृतीय चरण में 01 अप्रैल, 2008 से दुर्ग जिले में प्रारंभ किये जाने से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
- किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराना।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान किया जाना।
- छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013–14 से 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है, अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र धारक (FRA) अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिये निर्धारित 100 दिनों के अलावा, अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास थ्त। अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी सम्पत्ति न हो।

सारणी क्रमांक 1: छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन[3]

विवरण	2024–25	2023–24	2022–23	2021–22
स्वीकृत श्रम बजट (लाख रू.)	1100	1250	1200	1560.13
प्रतिदिवस केन्द्रीय दायित्व (लाख रू.)	1252.54	1208.47	1269.23	1574.26
कुल श्रम बजट (प्रतिशत)	120.32	102.13	110.41	108.47
आनुपातिक श्रम बजट के अनुसार प्रतिशत				
कुल प्रति व्यक्ति दिवस में अनुसूचित जनजाति प्रति व्यक्ति दिवस का प्रतिशत	9.44	9.12	8.58	8.76
कुल प्रति व्यक्ति दिवस में अनुसूचित जाति प्रति व्यक्ति दिवस का प्रतिशत	33.81	36.51	38.28	38.22
महिलाएँ प्रति व्यक्ति दिवस (प्रतिशत)	53.37	54.12	53.24	51.62
प्रति परिवार प्रदत्त रोजगार औसत दिवस	51.68	51.54	51.48	59.29
प्रति व्यक्ति प्रति दिवस औसत मजदूरी दर (रू.)	220.49	200.51	188.14	178.93
100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की कुल संख्या (लाख में)	3,33,510	3,43,117	3,51,213	5,55,490
रोजगार प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या (लाख में)	25.61	24.77	25.74	28.54
रोजगार प्राप्त करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	44.84	44.14	47.19	55.06

*(**Source:** https://nregastrep.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state_code=33&state_name =CHHATTISGARH&lflag=eng&labels=labels/27-9-2025/3.40%20p.m.)*

शोध कार्य का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:

1. रोजगार के वर्तमान स्वरूप की विवेचना करना।
2. मनरेगा योजना के संगठनात्मक स्वरूप एवं वित्तीय प्रबंध का अध्ययन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं मजदूरों के पलायन रोकने में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन करना।
4. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से आर्थिक विकास में योगदान का विश्लेषण करना।

शोध परिकल्पना

टाउनलैण्ड़ के अनुसार – ''परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है।''[4]

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैं:

1. मनरेगा से जिले में निवासरत अधिकांश ग्रामीण परिवारो को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ हैं।
2. मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और मजदूरो के पलायन में कमी हुई है।
3. मनरेगा योजनांतर्गत निष्पादित कार्यो से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढॉचा बेहतर हुआ हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर–पूर्व में अवस्थित आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला हैं। पंचायत विभाग से लखनपुर मैनपाट विकासखण्ड़ के 5 ग्राम पंचायतों के जॉबकार्ड धारकों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक पंचायत में से न्यादर्श विधि से 20–20 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

सर्वेक्षण क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड	सर्वेक्षित ग्राम का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
1. लखनपुर	1. कटिंदा	20	
	2. तुरना	20	
	3. बेलखरिखा	20	100
	4. पुहपुटरा	20	
	5. लहपटरा	20	
2. मैनपाट	1. आमगॉव	20	
	2. कमलेश्वरपुर	20	
	3. रोपाखार	20	100
	4. सपनादार	20	
	5. नर्मदापुर	20	
योग		200	200

सारणी क्रमांक 2: लखनपुर विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों का जनांकिकीय विवरण[5]

ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	आवासों की संख्या	जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	साक्षर जनसंख्या	कुल कार्यशील जनसंख्या
कटिंदा	801.93	465	1985	082	1349	878	981
तुरना	556.85	451	1878	342	810	899	1081
बेलखरिखा	431.63	450	2025	227	819	1017	1068
पुहपुटरा	984.53	821	3454	081	641	1735	1792
बलहपटरा	436.11	428	1882	292	48	950	776

*(**Source:** 2011-District Census Handbook, www.new.cnensus.gov.in)*

सारणी क्रमांक 3: मैनपाट लखनपुर विकासखण्ड के सर्वेक्षित ग्रामों का जनांकिकीय विवरण

ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	आवासों की संख्या	जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	साक्षर जनसंख्या	कुल कार्यशील जनसंख्या
आमगॉव	1061.26	204	989	0	861	267	592
कमलेश्वरपुर	703.26	216	1036	94	336	704	391
रोपाखार	1772.28	506	2176	136	1008	1048	1015
सपनादार	785.2	204	976	17	509	242	594
नर्मदापुर	3480.83	1583	6516	526	4225	2572	2808

*(**Source:** 2011-District Census Handbook, www.new.cnensus.gov.in)*

सारणी क्रमांक 4: उत्तरदाताओं का लिंगवार विवरण

क्रं.	लिंग	लखनपुर विकासखण्ड	मैनपाट विकासखण्ड	योग
1.	पुरूष	49	63	112 (56 प्रतिशत)
2.	महिला	51	37	88 (44 प्रतिशत)
	योग	100	100	200 (100 प्रतिशत)

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

लखनपुर विकासखण्ड में 49 पुरुष एवं 51 महिलाएँ हैं। मैनपाट विकासखण्ड में 63 पुरुष एवं 37 महिलाएँ हैं। इस प्रकार दोनों विकासखण्डों के कुल 200 में 112 (56 प्रतिशत) उत्तरदाता पुरूष एवं 88 (44 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाएँ हैं।

सारणी क्रमांक 5: उत्तरदाताओं का आयुवार विवरण

क्रं.	आयु	लखनपुर विकासखण्ड	मैनपाट विकासखण्ड	योग	प्रतिशत
1.	18–30 वर्ष	07	10	17	8.5 प्रतिशत
2.	30–40 वर्ष	48	51	99	49.5 प्रतिशत
3.	40–50 वर्ष	23	34	57	28.5 प्रतिशत
4.	50 वर्ष से अधिक	22	05	27	13.5 प्रतिशत
	योग	100	100	200	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

लखनपुर विकासखण्ड के कुल 100 उत्तरदाताओं में 18–30 वर्ष आयु वर्ग में 07, 30–40 वर्ष आयु वर्ग में 48, 40–50 वर्ष आयु वर्ग में 23 एवं 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 22 उत्तरदाता शामिल हैं। मैनपाट विकासखण्ड के कुल 100 उत्तरदाताओं में 18–30 वर्ष आयु वर्ग में 10, 30–40 वर्ष आयु वर्ग में 51, 40–50 वर्ष आयु वर्ग में 34 एवं 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 05 उत्तरदाता शामिल हैं।

सारणी क्रमांक 6: मनरेगा एवं रोजगार पात्रता के प्रावधान के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विवरण	लखनपुर विकासखण्ड		मैनपाट विकासखण्ड		योग	
		हॉ	नही	हॉ	नही	हॉ	नही
1.	मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी	85	15	89	11	174 (87%)	26 (13%)
2.	रोजगार पात्रता की जानकारी	43	57	63	37	106 (53%)	94 (47%)

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

1. **मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी:** लखनपुर विकासखण्ड में सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 85 प्रतिशत एवं मैनपाट विकासखण्ड में 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी है।
2. **रोजगार पात्रता की जानकारी:** लखनपुर विकासखण्ड में 43 प्रतिशत एवं मैनपाट विकासखण्ड में 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार पात्रता की जानकारी है।

सारणी क्रमांक 7: जॉबकार्ड जारी होने के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विवरण	लखनपुर विकासखण्ड	मैनपाट विकासखण्ड	योग	प्रतिशत
1.	जॉब कार्ड जारी हुआ है	100	99	199	99.5 प्रतिशत
2.	जॉब कार्ड जारी नही हुआ है	00	01	001	0.5 प्रतिशत
	योग	100	100	200	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

लखनपुर विकासखण्ड में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जॉब कार्ड जारी हुये है, जबकि मैनपाट विकासखण्ड में 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जॉब कार्ड जारी हुये है। इस प्रकार दोनों विकासखण्डों के कुल 199 (99.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओ को जॉब कार्ड जारी हुये हैं।

सारणी क्रमांक 8: मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में प्राप्त कुल मजदूरी के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्र.	मजदूरी (रु. में)	लखनपुर विकासखण्ड	मैनपाट विकासखण्ड	योग	प्रतिशत
1.	0 से 10,000	27	42	69	34.5 प्रतिशत
2.	10,000 से 20,000	43	41	84	42 प्रतिशत
3.	20,000 से 30,000	27	15	42	21 प्रतिशत
4.	30,000 से अधिक	03	02	5	2.5 प्रतिशत
	योग	100	100	200	100 प्रतिशत

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

लखनपुर विकासखण्ड में 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल 10,000 रू. से कम, 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10,000 रू. से 20,000 रू. तक, 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 20,000 रू. से 30,000 रू. तक तथा 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल 30,000 रू. से अधिक की कुल मजदूरी प्राप्त की है।

मैनपाट विकासखण्ड में 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल 10,000 रू. से कम, 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10,000 रू. से 20,000 रू. तक, 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 20,000 रू. से 30,000 रू. तक तथा 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल 30,000 रू. से अधिक की कुल मजदूरी प्राप्त की है।

सारणी क्रमांक 9: कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के प्रति उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	उपलब्ध सुविधाएँ	लखनपुर विकासखण्ड			मैनपाट विकासखण्ड			योग		
		हॉ	नही	पता नही	हॉ	नही	पता नही	हॉ	नही	पता नही
1.	प्रथम उपचार पेटी	01	91	08	00	87	13	01	178	21
2.	छायादार स्थल	77	23	00	67	33	00	144	56	00
3.	स्वच्छ पेयजल	100	00	00	100	00	00	200	00	00
4.	शिशु सदन	00	91	09	00	89	11	00	180	20

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

लखनपुर विकासखण्ड में 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रथम उपचार पेटी की सुविधा कार्यस्थल पर रहती है, 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल पर छायादार स्थल की सुविधा रहती है, शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा रहती है, 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल शिशु सदन की सुविधा पर रहती है।

मैनपाट विकासखण्ड में 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रथम उपचार पेटी की सुविधा कार्यस्थल पर रहती है, 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल पर छायादार स्थल की सुविधा रहती है, शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा रहती है 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कार्यस्थल शिशु सदन की सुविधा पर रहती है।

सारणी क्रमांक 10: मनरेगा से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

क्रं.	विवरण	लखनपुर विकासखण्ड			मैनपाट विकासखण्ड		
		हॉ	नही	कुछ कह नही सकते	हॉ	नही	कुछ कह नही सकते
1.	आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है	91	06	03	88	07	05
2.	रोजगार संबंधी आत्मनिर्भरता बढी है	87	11	02	77	22	01
3.	जीवन स्तर में सुधार हुआ है	91	08	01	84	12	04
4.	पलायन पर रोक लगी है	88	05	07	75	17	08

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

1. लखनपुर विकासखण्ड में 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं एवं मैनपाट विकासखण्ड में 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार होने होने की बात स्वीकार की है।
2. लखनपुर विकासखण्ड में 87 प्रतिशत एवं मैनपाट विकासखण्ड में 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि मनरेगा योजना से उनकी रोजगार संबंधी आत्मनिर्भरता बढ़ी है।
3. लखनपुर विकासखण्ड में 91 प्रतिशत एवं मैनपाट विकासखण्ड के 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा योजना से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।
4. लखनपुर विकासखण्ड में 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं एवं मैनपाट विकासखण्ड में 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से पलायन पर रोक लगने के पक्ष में अपना अभिमत दिया है।

निष्कर्ष

ग्रामीण गरीब के लिए मनरेगा जीवन रेखा है। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास, निर्धनता उन्मूलन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास व सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मजदूरी आय में वृद्वि होने से देश में ग्रामीण निर्धनों का जीवन–यापन का आधार मजबूत हुआ है। मनरेगा से ग्रामीण गरीब, आकस्मिक श्रमिक एवं वंचित वर्गों के लिए विस्तृत पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। यह मजदूरों को स्थिर आय का स्रोत प्रदान करता है। यद्यपि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् गांव में ही कार्य की उपलब्धता के फलस्वरूप गांव से शहरों की ओर पलायन रूका है, परन्तु यह पलायन अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सका है।

संदर्भ सूची

1. https://www.investopedia.com/terms/u/unemployment.asp, Accessed on 10.08.2025.
2. वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24, छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर, छ. ग., पृ. 1।
3. https://nregastrep.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state_code=33&state_name=CHHATTISGARH&lflag=eng&labels=labels, Accessed on 16.08.2025.
4. कपिल, एच. के. (2012) *अनुसंधान विधियॉ,* एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, उ. प्र., पृ. 35।
5. 2011-District Census Handbook, www.new.cnensus.gov.in, Accessed on 20.08.2025.

****